

परियोजना का नाम:-

चमोली—पलेठी— सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली—पलेठी— सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.088 हेतु 4.088 हेतु 4.088 सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विरत्तुत चर्चा की गयी। यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लाभित नहीं हैं एवं आदि जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा केसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट होया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं होया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के पर्यागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 4.088 हेतु रिविल भूमि को प्रयोक्ता ऐजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र - 23.1

दिनांक ५.५.२०७।२०१४ को ग्रामसभा १८ की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में
निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	न-दग्धि देव प्रताप	
2-	दिलाल चंद्र	Dilal.
3-	मनबराहिंद	Manbir
4.	सितालें	Sital
5.	देवेंद्रलहिंद	
6	जगतराहिंद	Jagtar
7-	बृहत्त्रिवृक्ष राज	Bhav
8-	लुटें	Lut
9-	अनंदलहिंद	Anand
10	जसपाल लोल	जसपाललोल
11.	दिनेश लाल	Dinesh Lal
12.	पंकज सिंह	Pankaj Singh
13	मोहिंदर चंद्रप्रताप	Mohinder
14	देवेंद्रलहिंद	Devender
15	त-लोहिंद अधिकारी	Tarun Lohind



परियोजना का नामः—


चमोली—पलेठी— सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोठी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक गोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम २००६ प्राविष्ठानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिन जनजाति/ग्राम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा केसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट हिया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं हिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के प्रमाणगत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि ~~400~~ हेठों रि विल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र - 23.1

दिनांक ०१-०७-२०१४ को ग्रामसभा अलैट की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपर्युक्त हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१)	जलपालनाथिं	जलपालनाथ
२)	प्रेम राम	प्रेम राम
३)	जगदाल	जगदाल
४)	इश्वरपाल	इश्वरपाल
५)	कृष्ण - नव प्रसाद	कृष्ण
६)	रमेश - चंद्र	रमेश - चंद्र
७)	दिगंबर लिह	दिगंबर लिह
८)	कांडे	कांडे
९)	राकेश	राकेश
१०)	मोदर मिं	मोदर मिं
११)	विजय लिं	विजय
१२)	सेवन जिं	सेवन
१३)	आमित सिंह	आमित सिंह
१४)	गोपनीय	गोपनीय



परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 40088 हेतु 5074 हेतु 5074 सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदि। जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा केसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट फ़िया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं फ़िया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के प्रमाणगत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 5074 हेतु 5074 रिविल भूमि को प्रयोक्ता ऐजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।


प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र - 23.1

दिनांक 29/06/18 को ग्रामसभा दरभनी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	मनोज लिह	<u>Manoj</u>
2.	रजपाल लिह	<u>रजपाल/लिह</u>
3.	चन्दन लिह	<u>चन्दन/लिह</u>
4.	पुरा लिह	<u>पुरा/लिह</u>
5.	दर्शन सिंह	<u>दर्शन सिंह</u>
6.	माहेश्वरी देवी	<u>माहेश्वरी देवी</u>
7.	बीर प्रसाद सिंह	<u>Birendra Singh</u>
8.	शंकर लिह	<u>शंकर/लिह</u>
9.	माहेश्वरी	<u>माहेश्वरी</u>
10.	माला लिह	<u>माला/लिह</u>
11.	परमानन्द सिंह रावत	<u>Rawat</u>
12.	कमल लिह	<u>कमल/लिह</u>
13.	राजीप लिह	<u>Rajeev</u>
14.	जगदीश रावत	<u>जगदीश रावत</u>



परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोठी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा है ते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु ५०४७ हेतु ५०४८ वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ५०४९ सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधिकों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिवाजनाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा केसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं हो जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के प्रमाणगत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि ५.७७ हेक्टेयर भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।


प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र - 23.1

दिनांक ।-७-२०१८ को ग्रामसभा सुमुकुरा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में
निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :—

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	डौलत सिंह	<u>Daulat Singh</u>
②	रमणीता सिंह	<u>Ramneeta Singh</u>
३	सन्तोष सिंह	<u>Santosh Singh</u>
④	सेता सिंह	<u>Setha Singh</u>
⑤	रजपाल सिंह	<u>Rajpal Singh</u>
⑥	पुरुष राजा	<u>Purush Raja</u>
⑦	साहित्यलाल	<u>Sahityalal</u>
⑧	मुकुन्दी लाल	<u>Mukundी Lal</u>
⑨	आरती देवी	<u>Aartee Devi</u>
⑩	पुष्पा देवी	<u>Puspaa Devi</u>
⑪	लीला देवी	<u>Lilaa Devi</u>
⑫	सीमा देवी	<u>Seema Devi</u>
⑬	सुरेन्द्र लाल	<u>Surenndra Lal</u>
⑭	दिमत लाल	<u>Dimat Lal</u>
⑯	मोहन लाल	<u>Mohan Lal</u>
⑯	चूप्टकरु	<u>Chuptakar</u>



परियोजना का नाम:-

चमोली—पलेठी— सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली—पलेठी— सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु ५.०७० हेतु ५.०७० सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिवाजनाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा केसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट हो गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं हो जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के प्रमाणागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि ५.०७० हेतु रिविल भूमि को प्रयोक्ता ऐजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र - 23.1

दिनांक ०१/०७/१९ को ग्रामसभा रामलीला की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	प्रियंका लिला शर्मा	
२	मातवी रामलीला	
३	बलमधु लिला	
४	खुरामी	
५	माया लिला	
६	रघुवारी लिला	रघुवरी (लिला)
७	वराहा लिला	वराही (लिला)
८	पीला लिला	
९	शंजीपाला लिला	
१०	उपरामी	सुनदा मिला
११	पावली लिला	पावली (लिला)
१२	बालामी	
१३	मातवी	(Matawī)
१४	दृष्टदास	
१५	आवतार लिला	अवतार लिला
१६	रघुवारी	रघुवरी

